

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.13(134)वित्त/अंकेक्षण/91

जयपुर, दिनांक : 17/2/2016

समास्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने बाबत।

महोदय,

प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दलों को विभागों द्वारा अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित विभाग/कार्यालय के लेखों की पूर्ण जांच नहीं हो पाती है। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा विगत कुछ वर्षों में अंकेक्षण आक्षेपों का गठन किया गया है।

महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्नांकित पत्र जारी किए गए हैं—

- (1) पत्र क्रमांक प.4(9) वित्त/रा.अंके./94 दिनांक 25.8.94
- (2) पत्र क्रमांक प.12(1) वित्त/अंकेक्षण/98 दिनांक 02.12.99
- (3) पत्र क्रमांक प.13(116) वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 18.01.2005

वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के उपरान्त भी विभागों द्वारा महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति गंभीर है। अतः इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाकर पूर्व में प्रसारित आदेशों के क्रम में पुनः अनुरोध है कि निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें—

1. जैसे ही महालेखाकार अंकेक्षण दल का अंकेक्षण कार्यक्रम प्राप्त हो, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जावे।

2. यदि अंकेक्षण दल को समय पर वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा इसके फलस्वरूप अंकेक्षण कार्यक्रम निष्फल हो जाता है, तो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे। यदि किन्हीं मामलों में जानबूझकर अभिलेख उपलब्ध कराने में कोताही बरती जाती है अथवा अनावश्यक रूप से असाधारण विलम्ब किये जाने की स्थिति ध्यान में आती है, तो ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से अंकेक्षण दल के वेतन-भत्तों पर हुये निष्फल व्यय की वसूली करने पर भी विचार किया जा सकता है।

3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामलों को प्रत्येक विभाग की ऑडिट समिति के समक्ष स्थायी एजेण्डा के रूप में विचारार्थ रखा जावे।

4. अंकेक्षण दलों को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामलों की विभागवार सूची महालेखाकार द्वारा प्रत्येक माह वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाई जायेगी। वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों के ध्यान में प्रकरण लाये जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुश्रवण किया जायेगा।

5. अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित अवधि में प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभाग स्तर पर संयुक्त शासन सचिव तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। अतः महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु भी इन नोडल अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जावे ताकि अंकेक्षण दलों को अभिलेख/सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और शासन को जनलेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति के समक्ष विषम स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

6. समस्त अंकेक्षण मामलों के अनुश्रवण एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख/सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्तानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त करवाकर वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालय एवं राजस्थान विधानसभा को अवगत कराया जावे। नोडल अधिकारी का नाम पद, कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर आदि का विवरण भी उक्त सूचना के साथ भेजा जावे। किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने की स्थिति में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी को चार्ज देते समय नोडल अधिकारी का चार्ज भी संभलवाया जावे तथा नोडल अधिकारी का नाम, पद आदि बदले जाने पर सूचना पुनः वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालय एवं राजस्थान विधानसभा को प्रेषित की जावे।

अतः अनुरोध है कि महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख/सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं की अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,



(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।



(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव